सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-**24.07.2024** के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स० श्री गोपाल रविदास, स०वि०स० श्रीमती मंजु अग्रवाल, स०वि०स० डॉ0 रामानुज प्रसाद, स०वि०स० श्री सउद आलम, स०वि०स० श्री भारत भूषण मंडल, स०वि०स०	''राज्य भर में जलस्त्रोतों पर बसे गाँवों को नए जगह पर बसाने का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया है। इन जगहों पर बसा अधिकांश गाँव महादलित गरीबों का है, जिन्हें सुलभ मजदूर प्राप्त करने के उद्देश्य से आजादी के पूर्व में ही भू-स्वामियों ने बसाया था। उन्हें न तो खुद पता है कि हम किस किस्म के जमीन पर बसे हैं और न तो सरकार द्वारा उन्हें बताया गया है कि भविष्य में उन्हें कहाँ बसाया जाएगा। उन्हें पता तब चलता है जब या तो उनके विरूद्ध कोई पदाधिकारियों के पास आवेदन देता है अथवा उनके बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकारी योजनाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। असल में उन्हें जिस समय बसाया गया था, केवल दस्तावेजों में ही जलस्त्रोत थे। विकास के इस दौर में ऐसे जमीन पर बसे गरीबों की बड़ी आबादी को चापाकल, सामुदायिक भवन, चबूतरा जैसी बुनियादी सुविधाओं से अनिश्चित काल तक वंचित रखना विकास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अत: नए जगह पर बसाने तक के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	राजस्व एवं भूमि सुधार

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	डॉ0 संजीव कुमार, स०वि०स० श्री पंकज कुमार मिश्र, स०वि०स० श्री कुंदन कुमार, स०वि०स० श्री मनोज यादव, स०वि०स० श्री राजीव कुमार सिंह, स०वि०स० श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स० श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स	'' बिहार प्रदेश अन्तर्गत वर्ष 2016 से पहले गैरमजरूआ खास जमीन की खरीद-बिक्री सहित लगान की रसीद कटती थी। लेकिन सिर्फ उसी जमीन की, जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं थी और संबंधित जमीन की जमाबंदी कायम था। पिछले लगभग 8 वर्षों से वैसी गैर मजरूआ खास जमीन जो किसान और उनके पूर्वज 100 वर्षों से उस जमीन का लगान रसीद कटवा रहे थे, उनपर सरकार के द्वारा रोक की वजह से लगान रसीद नहीं कट रहा है। साथ ही उस जमीन की बंदोबस्ती भी नहीं हो रही है। इस कारण किसानों को सरकार से मिलने वाली फसल क्षतिपूर्ति सहित अन्य अनुदान का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञात हो कि बिहार की 70% आबादी खेती पर ही निर्भर है और किसान किसी खास प्रयोजन में जमीन को बेच कर शादी सहित अन्य पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं । रोक की वजह से इन किसानों को सरकारी अनुदान सहित जमीन की खरीद बिक्री का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सरकार से गैर मजरूआ खास की जमीन जो सरकार की प्रतिबंधित सूची में दर्ज नहीं है उसका लगान रसीद काटने की अनुमति देने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	राजस्व एवं भूमि सुधार

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/2024- 1903 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2024 ई० ।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.07.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/2024- 1903 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2024 ई० ।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.07.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/2024- 1903 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2024 ई० ।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

23.07.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/2024- 1903 / वि०स०, पटना, दिनांक- 23 जुलाई, 2024 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

23.07.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।